



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939

No. 286]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

सं. 13/2017-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 356 (अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा. का. नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(क) तालिका में, क्रम सं. 78क में,

(क) स्तंभ (3) में शब्द “पांच लाख मीट्रिक टन तक” के बाद में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते कि आयातकर्ता कच्ची चीनी का सफेद /परिशोधित चीनी में परिशोधन, बिल आफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड की तारीख, जो भी बाद में हो के दो महीने की अवधि के भीतर करता है।”;

(ख) स्तंभ (6) में, प्रविष्टि “3घ और 5” प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ख) सारणी के पश्चात, परन्तुक में, खंड (ठ) के बाद निम्नलिखित संख्या, अक्षर और शब्द “13 जून, 2017” के स्थान पर संख्या, अक्षर और शब्द “1 जुलाई, 2017” प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[फा. सं. 354/78/2009-टीआरयू (भाग)]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा. का. नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित हुई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं 12/2017 सीमा शुल्क, तारीख 5 अप्रैल, 2017 सा. का. नि. 334 (अ), तारीख 5 अप्रैल, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2017

No. 13/2017-Customs

G.S.R. 356(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely:-

In the said notification,

(A) in the Table, against serial number 78 A

(a) for the entry in column (3), after the words “total imports of such goods.” The following proviso shall be inserted:-

“Provided that the importer shall convert the raw sugar into white/ refined sugar within a period, not exceeding two months, from the date of filing of bill of entry or the date of entry inwards, whichever is later.”;

(b) for the entry in column (6), the entry “3 D and 5” shall be substituted.

(B) after the Table, in the proviso, in clause (I) for the figures, letters and words “13th day of June, 2017”, the figures, letters and words “1st day of July, 2017” shall be substituted.

[F.No.354/78/2009-TRU (Pt.)]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note : The principal notification No.12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended vide notification No.12/2017-Customs, dated the 5th April, 2017, published vide number G.S.R. 334 (E), dated the 5th April, 2017.